

**उनवान**

1. भगवान सहाय पुत्र श्री शंकर
2. गोपी राम पुत्र श्री शंकर
3. मूलचन्द पुत्र नाहर मल
4. ईश्वर लाल पुत्र नाहरमल

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. नारायण पुत्र भूरा जाति रैगर निवासी खेजरोली।
3. प्रहलाद पुत्र भूरा जाति रैगर निवासी खेजरोली।
4. मदन पुत्र श्योचन्द खटीक निवासी खेजरोली जयपुर।
5. कालू पुत्र परता जाति खटीक निवासी खेजरोली, जयपुर।
6. बिहारी लाल पुत्र नारायण लाल जाति खटीक, निवासी महावीर दाल के पास वार्ड नम्बर 8, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956

इन्द्राज दुरुस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक 28.05.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी/ गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेखों से संबंधित है। धारा 132 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है।

धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/ त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नहीं आता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, चौमूं  
(जयपुर)